


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
02.05.2018	<p>राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 जयरूप राम बनाम राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट</p> <p>पत्रावली आज कैम्प कोर्ट तनावडा में पेश हुई वकूलाय फरीकेन उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस करते हैं तथा प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> महायुक्त कलेक्टर एवं उपसुपड वकील लूना (बोधपुर) राज.</p>